कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी फ़ोन + 91-542-2502655/2502644 ,फैक्स-91-542-250145 ,0 ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या :पीआरओ 9/52020 दिनांक: नवम्बर/14 ,2020

# *प्रेस नोट*

दिनांक 14.11. को 2020थाना सारनाथ पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 0581/2020 धारा 363,366,504,7 भादवि व 506/ 8पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त सुरेन्द्र तिवारी पुत्र कल्लू तिवारी निवासी सी6 0/अकथा 62, थाना सारनाथ, वाराणसी को पहड़िया चौराहे के पास से समय करीब 10.बजे गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना सारनाथ पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही 45 की जा रही है।

**गिरफ्तार*अभियुक्त का विवरण*-**

- सुरेन्द्र तिवारी पुत्र कल्लू तिवारी निवासी सी0 6/62 अकथा, थाना सारनाथ, वाराणसी उम्र 22 वर्ष।

***गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण*-**

- उ0नि0 सुरेश सिंह, का0 उमेश चन्द्र भारती व का0 चेतन कुमार शाह थाना सारनाथ वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

वाराणसी पुलिस आपकी अपनी पुलिस :

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी फ़ोन + 91-542-2502655/2502644 ,फैक्स-91-542-250145 ,0 ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या :पीआरओ 96/2020 दिनांक: नवम्बर1 ,4/2020

*प्रेस नोट*

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के निर्देशन में जनपद में नारी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन हेतु चलाये जा रहे *"मिशन शक्ति"* अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 14.11.2020 को वाराणसी पुलिस द्वारा जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों के स्कूलकॉलेज व सार्वजनिक स्थलो/ं पर महिलाओं/बालिकाओं के बीच जाकर पोस्टरविडियो क्लिप के माध्यम से सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन /आडियों/पम्पलेट/बैनर/ ) नम्बरों1121098,,1090,181,1076,108,102) की जानकारी देकर जागरूक किया गया।

जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में मिशन शक्ति पुलिस टीम जागरुकता अभियान चलाते हुए 91 स्थानों पर प्रचार प्रसार कर कुल-2932 महिलाओंबालिकाओं को जागरुक किया गया। मिशन शक्ति से / सम्बन्धित752 पर्चे वितरित किये गये। एण्टीरोमियो स्क्वाड द्वारा कुल 165 स्थानों पर भ्रमणचेकिंग / करते हुए कुल715 महिलाओंबालिकाओं को जागरुक किया गया तथा मनचलों के विरुद्ध कार्यवाही / 0 करते हुए2 के विरुद्ध ,पुलिस एक्ट की कार्यवाही 34 05 के विरूद्ध ,भादवि की कार्यवाही 29005 के विरूद्ध एमवी एक्ट में चालान ,02 के विरूद्ध ,सीआरपीसी में चालान 15153 मनचलों को हिदायत एवं 64 मनचलों को सख्त चेतावनी दी गयी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

वाराणसी पुलिस आपकी अपनी पुलिस :

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी फ़ोन + 91-542-2502655/2502644 ,फैक्स-91-542-250145 ,0 ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या :पीआरओ 9/72020 दिनांक: नवम्बर1 ,4/2020

*प्रेस नोट*

जनपद वाराणसी में कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक बिना मास्क के घूम रहे व्यक्तियों, कालाबाजारी करने वालों दुकानदारों व यातायात नियमों का उल्लंघन करने व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए आज दिनांक 14-11-2020 को विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए* कुल 39 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-151 सीआरपीसी* के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया गया तथा *09 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-188 चालानी रिपोर्ट व धारा-51 आपदा प्रबन्ध अधिनियम* के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी। बिना मास्क धारण किये *कुल 401 व्यक्तियों से रु0-10,8 -/00जुर्माना* जमा कराया गया।

जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में जनपदीय पुलिस व यातायात पुलिस द्वारा यातायात नियमों का उल्लघंन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए *कुल 726 वाहनों का चालान, 05 वाहनों को सीज तथा 27 वाहनों से रु0-21,900/ -समन शुल्क वसूल* किया गया।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।